



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244346
CG-DL-E-13032023-244346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1130]
No. 1130]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1177(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5742(अ) तारीख 08.12.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में 561अ के कि.मी. 27/970 से 38/775 कि.मी. तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21.12.2022" को "दै. लोकमत (मराठी)" और "इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 561अ के कि.मी. 27/970 से 38/775 कि.मी. तक [अहमदनगर-करमाला/टेंभुर्णी (एन.के.टी.) सड़क सेक्शन] के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम : महाराष्ट्र			जिले का नाम : अहमदनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: श्रीगोंदा				
	गांव का नाम: बानपिंप्री				
1	178	निजी	कृषी	0.0217	दत्तात्रय विलास वाबळे, रजनी संजय वाबळे, वैभव संजय वाबळे, हरीश संजय वाबळे अपाक आई रजनी (१७८)
	गांव का नाम: धोगरगांव				
2	540/2	निजी	कृषी	0.0518	कल्याण सूर्यभान जगताप, शिवाजी सूर्यभान जगताप, बाळकृष्ण सूर्यभान जगताप (५४०/२)
			कुल	0.0735	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3D1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1177(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5743(E) dated 08.12.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 561A, in the stretch of land from Km. 27/970 to Km. 38/775 [Ahmednagar-Karmala-Tembhurni (NKT) Road Section] in District of Ahmednagar in State of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daliy Lokmat (Marathi)” and “Indian Express (English)” both dated 21.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 27/970 to Km. 38/775 [Ahmednagar-Karmala-Tembhurni (NKT) RoadSection] of the National highway No. 561A in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA		District: AHMEDNAGAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shrigonda				
	Village: Banpimpri				
1	178	Private	Agriculture	0.0217	Dattatray Vilas Wable, Rajni Sanjay Wable, Vaibhav Sanjay Wable, Harish Sanjay Wable Apaks mother Rajni 178
	Village: Ghogargaon				
2	540/2	Private	Agriculture	0.0518	Kalyan Suryabhan Jagtap, Shivaji Suryabhan Jagtap, Balkrishna Suryabhan Jagtap 540/2
			TOTAL	0.0735	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3D1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.